



JALAUN POLICE

“Operation Conviction”

दिनांक 11.09.2026

पुलिस अधीक्षक जालौन के निर्देशन में मॉनीटरिंग सेल जनपद जालौन एवं थाना डकोर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी से मा० न्यायालय एडीजे प्रथम कोर्ट उर्ई जनपद जालौन द्वारा 05 अभियुक्तगण को दोषी पाते हुए आजीवन सश्रम कारावास एवं 15,000-15,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

अभियुक्तगण 1. फूल सिंह पुत्र लालाराम कुशवाह 2. शत्रुघन उर्फ सहोदर पुत्र अमरचन्द्र कुशवाह निवासीगण ग्राम डकोर जनपद जालौन 3. मोहित कुमार पुत्र राजू वाल्मीकि नि० कस्बा व थाना जालौन 4. आरिफ पुत्र पप्पू मंसूरी उर्फ तौहीद 5. अतर सिंह पुत्र रघुनाथ निवासीगण मो० चुरखीवाल कस्बा व थाना जालौन के विरुद्ध थाना डकोर पर मु०अ०सं० 23/2023 धारा 147/364/34/302/120बी भादवि पंजीकृत किया गया था। "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अन्तर्गत मॉनीटरिंग सेल व थाना डकोर पुलिस द्वारा की गयी सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय (एडीजे-प्रथम कोर्ट उर्ई) जनपद जालौन द्वारा उपरोक्त समस्त अभियुक्तगण को आजीवन सश्रम कारावास एवं 15,000-15,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।



श्री हृदेश पाण्डेय
ADGC



प्र०नि० मॉनीटरिंग सेल
श्री परमहंस तिवारी



हे०का० महेन्द्र प्रताप सिंह
कोर्ट मुहर्निर



का० राजकुमार पटेल
कोर्ट पैरोकार

jalaunpolice

